

(1) सिविल अपील क्रमांक: 51/14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 51/14
संस्थापन दिनांक 3.4.2012

1. महीपतसिंह पुत्र-सुमेरसिंह तौमर, आयु-85 साल,
निवासी ग्राम सुहॉस परगना गोहद जिला भिण्ड

.....अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक-1

बनाम

1. रामऔतारसिंह, आयु-50 साल,
2. नरेन्द्रसिंह, आयु-44 साल,
3. शिवऔतारसिंह, आयु 42 साल,
पुत्रगण-जिलेदारसिंह तौमर,
निवासी ग्राम सुहॉस परगना गोहद जिला भिण्ड।
4. म0प्र.शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड।

-----प्रत्यर्थी/वादीगण

न्यायालय-श्री मनीष शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला भिण्ड
द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-146 ए/2008 ई.दी. में पारित निर्णय
दिनांक 05/03/2012 से उत्पन्न सिविल अपील।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 14 जुलाई 2014 को घोषित किया गया)

01 अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील अंतर्गत धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 1 सी0पी0सी0 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, गोहद के सिविल वाद क्रमांक 146 ए/2008 में प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 5/3/2012 से विछुब्द होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी/वादीगण के वाद को स्वीकार कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है।

02 प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक-1 के स्वत्व स्वामित्व की भूमि सर्वे नम्बर 777 रकवा 0.78 है ओर प्रत्यर्थी/वादीगण सर्वे नं0 750 रकवा 0.500 हेक्टर स्थित मौजा सुहॉस तहसील गोहद का इन्द्राजित भूमिस्वामी तथा आधिपत्यधारी है ओर सर्वे नं0 773 की भूमि शासकीय रास्ता एवं सर्वे नम्बर 778 की भूमि शासकीय होकर कदीम रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

03- वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद

स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इस आधार पर पेश किया गया था कि, विवादित भूमि मौजा सुहॉस परगना गोहद में स्थित है, जिसका वादी पंजीकृत भूमिस्वामी है। जिसके उत्तर पूर्व तरफ शासकीय आम रास्ता है। प्रतिवादी क्रमांक-1 शासकीय सर्वे नम्बर 778 पर कब्जा कर खेती कर रहा है और रास्ता सर्वे नं० 773 को भी दबाये है और वादी के सर्वे नं० 750 में से होकर रास्ता बनाना चाहते हैं। दिनांक 23.9.2008 को प्रतिवादी क्रमांक-1 ने सर्वे क्र० 778 जोत दिया और शासकीय आम रास्ते को दबा दिया तथा वादी के खेत में से होकर निकलने लगे। अतः स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई।

04. प्रतिवादी ने अपने जबाब में यह व्यक्त किया है कि सर्वे नं० 750 का रकवा 0.500 नहीं है तथा इस पर वादी का आधिपत्य नहीं है। राजस्व निरीक्षक द्वारा सर्वे नं० 809, 810 एवं 811 का कुल रकवा 0.282 हेक्टर था जिससे सर्वे नं० 750 बना उसका रकवा उतना ही था और 0.82 हे० अवैधानिक रूप से बढ़ाकर वादी को अनुचित लाभ दिया गया है और शासन की भूमि कम की गई है। वादीगण के पिता के द्वारा संचालित वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। धारा 11 व्य० प्र० सं० के तहत दावा प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

05— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर बादप्रश्नों की रचना की और विचारण करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत गुणदोषों पर आलोच्य निर्णय पारित कर वादी/प्रत्यर्थी का वाद स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर उक्त अपील प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से पेश की गई।

06— अपीलार्थी /प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील ज्ञापन में यह आधार लिया गया है कि विद्वान अधि० न्या० ने अभिलेख पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया और कोई दस्तावेज पेश न होने से वाद डिक्री कर दिया। साक्ष्य को नजर-अंदाज कर गलत तरीके से उसका वाद निरस्त किया है। वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने जिन आधारों पर वाद डिक्री किया है वे सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। इसलिए अधि० न्यायालय का आलोच्य निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जावे।

07— प्रत्यर्थी/वादी की ओर से व्यक्त किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं विधान के अनुकूल है और उसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता न होना प्रकट किया है तथा प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

08— उक्त विचाराधीन प्रथम सिविल अपील के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :-

09. 1- क्या अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है ?
2- क्या अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है?

निष्कर्ष के आधार

10- उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया। विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी/वादीगण की ओर से मूल वाद अपने स्वामित्व व आधिपत्य के सर्वे नं० 750 रकबा 0.500 हेक्टेयर में कब्जा कास्त में व्यवधान उत्पन्न किए जाने से निषेधित किए जाने के संबंध में प्रस्तुत किया था और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी सीमा तक वादी अपीलार्थी/प्रतिवादी क०1 महीपतसिंह के विरुद्ध डिक्री किया गया है। स्वीकृत तथ्यों के अनुसार जिस भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की है उसका प्रत्यर्थी/वादी इन्द्राजित भूस्वामी है, जो अभिलेख पर उभयपक्ष की आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत प्रदर्श पी-5 के खसरा के अनुसार स्थापित है। प्रकरण में दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर शासकीय भूमि कब्जयाने का आक्षेप किया गया है और मामले में शासन प्रति०क०2 था, जो एक पक्षीय रहा है। मूल सर्वे नं०750 की भूमि के संबंध में विवाद होने से मध्यप्रदेश शासन के अनुपस्थित होकर एक पक्षीय होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा क्योंकि शासकीय भूमि पर यदि कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उसके संबंध में शासन विधिनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

11. अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से अपील ज्ञापन के अनुसार वाद में रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त एवं पक्षकारों के असंयोजन संबंधी आपत्ति उठाई गई है। जिसके संबंध में आलोच्य निर्णय में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कंडिका 17 व 19 में स्पष्ट निष्कर्ष दिया है। चूंकि मामले में केवल स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई, ऐसे में वाद कारण मुताबिक अपीलार्थी/प्रतिवादी क.-1 पर ही आक्षेप किया गया है। ऐसे में वह प्रकरण के लिए आवश्यक पक्ष विधिनुसार होगा अन्य सह स्वामी ऐसी स्थिति में आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में नहीं माने जावेंगे। जिसे कि राजबहादुरसिंह और बलवंतसिंह को प्रकरण में पक्षकार न बनाये जाने की आपत्ति ली गई है। जो वांछित सहायता को देखते हुए प्रकरण के लिए कतई आवश्यक पक्षकार नहीं है और इस संबंध में अपीलार्थी की आपत्ति निराधार मानी जाती है तथा प्रकरण में पक्षकारों के कुसंयोजन का कोई दोष होना कतई प्रमाणित नहीं होता है।

12. जहाँ तक पूर्व न्याय सिद्धांत (Principle Of Resjudicata) की विधिक आपत्ति है। उभयपक्ष की मौखिक साक्ष्य में इस पर स्वीकारोक्ति अवश्य आई है कि उनके मध्य पूर्व में व्यवहार वाद चला था जिसका निराकरण हुआ और वर्तमान में वह माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में

विचाराधीन है। किन्तु मूल अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के या विषयवस्तु में हित रखने वाले व्यक्तियों के मध्य पूर्व में जो विवाद चले उसमें क्या विवाद था ? क्या सहायता मांगी गई थी ? कौन-कौन पक्षकार था ? क्या वाद कारण था ? क्या निराकरण हुआ ? इस संबंध में पूर्व प्रकरण से संबंधित किसी दस्तावेज को अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये जाने से स्थिति अस्पष्ट है। जैसाकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है। अपील ज्ञापन के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जो पूर्व न्यायिक सिद्धान्त को आकर्षित करता। ऐसे में वाद प्रश्न क्रमांक-4 के विरुद्ध विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निष्कर्षित करने में कोई विधि संबंधी त्रुटि नहीं की गई है। इस बिन्दु पर **मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत एस्काटर्स फार्म्स लि० विरुद्ध कमिशनर कुमाँउ डिवीजन, नैनीताल ए०आई०आर० 2004 सु०को० पेज 2186** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पूर्व न्याय के सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि वह विवादक जो अंतिमतः प्राप्त कर लिया हो उसे पुनः उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। वर्तमान अपील में कौन से विवादक पर क्या विषय वस्तु के संदर्भ में अंतिमतः प्राप्त हो चुका है इस बाबत अभिलेख पर कोई लेखीय प्रमाण नहीं है और न ही मौखिक साक्ष्य में स्थिति स्पष्ट है। इसलिए मामले में पूर्व न्याय सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता है और उस आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार नहीं की जा सकती है। इस तरह से उठाये गये बिन्दु प्रकरण में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं।

13. जहाँ तक स्थाई निषेधाज्ञा के लिए बताये गये तथ्यों का प्रश्न है यह सुस्थापित विधि है कि जिन आधारों को लेकर वाद प्रस्तुत किया जाता है उन्हें प्रमाणित करने का भार उसी पर रहता है और वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। साथ ही यह सुस्थापित विधि है सिविल मामलों के संबंध में है कि प्रत्येक सिविल मामलों का निराकरण प्रबल संभावनाओं के संतुलन के आधार पर (Propoundence pf probability) किया जाता है।

14. वर्तमान मामले में जो वाद कारण वादी/प्रत्यर्थी वाद पत्र के अनुसार लेकर आया कि उनके स्वामित्व आधिपत्य के सर्वे नं० 750 रकवा 0.500 हेक्टेयर मौजा सुहॉस तहसील गोहद भूमि में रास्ता बनाने लिये प्रयत्नशील है, जिससे उन्हें रोका जावे। इस बाबत यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उक्त भूमि का वादी/प्रत्यर्थी भूमिस्वामी है और साक्ष्य विधान की धारा 58 के अनुसार स्वीकृत तथ्य को प्रमाणित करने के लिए किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। उभयपक्ष के अभिवचनों से दोनों पक्षों की भूमियां पास में हैं उनके पास ही शासकीय रास्ते का सर्वे नं० 773 रकवा 0.2 है और शासकीय कदीम की भूमि सर्वे नम्बर 778 रकवा 0.08 हेक्टेयर लगी हुई है। उभयपक्ष की साक्ष्य में यह बिन्दु पर स्पष्ट रूप से साक्ष्य में स्थापित हुआ है कि वादी/प्रत्यर्थी का सर्वे नम्बर 750 पूर्व सर्वे नम्बर 809, 810 और 811 से मिल कर बना था। अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से यह आक्षेप रहा है कि वादी/प्रत्यर्थी ने सर्वे नं० 750 में 22 विस्वा रकवा बढ़ा लिया है। यह लेखीय प्रमाण से मेल नहीं खाता है। क्योंकि प्रदर्श

पी-5 के खसरा पंचशाला मुताबिक सर्वे नं० 750 का रकवा 0.500 हेक्टर है और उसमें कोई इजाफा वादी/प्रत्यर्थीगण द्वारा किया जाना प्रकट नहीं होता है। इस संबंध में प्रतिवादी/अपीलार्थी का आक्षेप स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

15. वादी रामऔतारसिंह (व०सा०१) और उसके साक्षी रामवरन (व०सा०२) ने अपनी साक्ष्य में प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा शासकीय रास्ते का उपयोग न करते वादी की भूमि में से रास्ता निकालने का प्रयास किए जाने बाबत स्पष्ट अभिकथन किया है जिसका उन्होंने प्रतिपरीक्षण में कोई खंडन नहीं किया है। जिससे उनकी साक्ष्य अखंडनीय स्वरूप की हो चुकी है और यह बिन्दु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी निष्कर्ष निकालते समय ग्राह्य किया है। अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से स्वयं महीपत (प्र०सा०१ तथा नवाव (प्र०सा०२)ने जो साक्ष्य दी है उससे नबाबसिंह का तो वास्तविक तथ्यों की जानकारी ही नहीं है। वह इस बात पर अनिभिज्ञता प्रकट करता है कि महीपत ने सरकारी जगह खेत में मिला ली है या नहीं। रामऔतारसिंह खेत में से रास्ता निकालना चाहता है या नहीं। उसे यह भी ज्ञात नहीं है कि प्रतिवादी वादी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करा रहा है या नहीं ? ऐसे में उसकी साक्ष्य का कोई विधिक मूल्य नहीं रह जाता है। प्रकरण में अभिलेख पर जो मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य है उससे यह कतई प्रमाणित नहीं होता है कि पक्षकारों या प्रतिवादी द्वारा कोई सीमांकन अपनी भूमि का कराया गया है जबकि वादी/प्रत्यर्थी पंजीकृत भूमिस्वामी हैं और उनका राजस्व अभिलेख के अनुसार सर्वे नं० 750 रकवा 0.500 हेक्टर की भूमि पर कब्जा कास्त है जो उनके निजी स्वामित्व का है और उस पर व्यवधान उत्पन्न कर किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने या हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति जिसमें अपीलार्थी/प्रतिवादी भी शामिल है उसे कोई अधिकारिता नहीं रही है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमि की सुरक्षा का अधिकार है और उसमें हस्तक्षेप की स्थिति में वह धारा 09 सी०पी०सी के तहत स्थाई ब्यादेश प्राप्त करने के लिये सशक्त है।

16. ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमित उद्देश्य की जो स्थाई निषेधाज्ञा अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध प्रचलित की है वह किसी भी दृष्टि से अवैधानिक या औचित्यहीन नहीं मानी जा सकती है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री साक्ष्य, तथ्य व परिस्थितियों के अनुकूल होकर पुष्टि योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील में उठाये गये बिन्दु और लिए गये आधार कतई विधिक महत्व नहीं रखते हैं। परिणामतः अपीलार्थी/प्रतिवादी की प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन पाई जाती है।

17. फलस्वरूप विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय वह डिक्री दिनांकित 05.03.2012 की पुष्टि करते हुए अपील सव्यय निरस्त की जाती है।

18. अपीलार्थी/प्रतिवादी अपने व्यय के साथ प्रत्यर्थी/वादीगण का अपील व्यय वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या तालिका अनुसार जो भी कम हो

(6)

सिविल अपील क्रमांक: 51 / 14

जोडा जावे।

तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

दिनांक-14..जुलाई 2014

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड